



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237182  
CG-DL-E-07072022-237182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]  
No. 484]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ 16, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

**सा.का.नि. 522(अ).**—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 22(अ) तारीख 18 जनवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 18 जनवरी, 2022 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की संभावना उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी जिसके साठ दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 18 जनवरी, 2022 को उपलब्ध कराई गई;

और, उपरोक्त अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में,-

(i) खंड (कख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(कग) “जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों” से, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के सिवाय ऐसे प्लास्टिक अभिप्रेत है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित और भारतीय मानके ब्यूरो के अधिकांशतः मानकों का अनुपालन करते हुए, किन्हीं माइक्रो प्लास्टिकों, या स्पष्ट रूप से दृश्य या अलग करने योग्य या विषाक्त अवशेष, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, छोड़े बिना, परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जलीय) दशाओं के अधीन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अवक्रमित हो जाता है-’;

(ii) खण्ड (ख) में, “ब्रांड लेवल्स;” शब्द, के पश्चात् “और ट्रेडमार्क” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में “अर्थात् तैयार की गई थैलियां” शब्दों से पूर्व “(अनुसूची-2 में दिए गए खंड (5.1) (ii) – प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी-11 के अधीन शामिल)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iv) खण्ड (छक) को “(छख)” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःक्रमांकित किए गए खंड (छख) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(छक) “उपयोग की अवधि समाप्त होने पर निपटान” से प्रवृत्त सुसंगत दिशानिर्देशों के अध्याधीन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग, जिसमें सह-प्रसंस्करण (उदाहरण के लिए सीमेंट, इस्पात या कोई अन्य ऐसे उद्योग में) या अपशिष्ट से तेल उत्पादन, उन मामलों को छोड़कर जिनमें फीडस्टॉक रसायनों का उत्पादन प्लास्टिक के उत्पादन में पुनः उपयोग हेतु किया जाता है जिस पर पुनर्चक्रण के अधीन विचार किया जा सकता है, या भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए उपयोग संबंधित है।”

(v) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ट) “आयातक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों या कैरी बैगों या बहु-परतीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीटों या इस प्रकार की अन्य सामग्रियों का आयात करता है;’ ;

(vi) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘णक’ “प्लास्टिक पैकेजिंग” से विभिन्न तरीकों से उत्पादों का संरक्षण करने, उनका परिरक्षण करने, भंडारण करने, परिवहन करने के लिए प्लास्टिकों का प्रयोग करके बनाई गई पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है;’ ;

(vii) खण्ड (थक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(थख) “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं” से ऊर्जा के लिए (अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन) प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करने में लगी इकाइयों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण अभिप्रेत है। जिसमें सह-प्रसंस्करण या प्लास्टिक अपशिष्ट को तेल में परिवर्तित करना (अपशिष्ट से तेल उत्पादन), उन मामलों को छोड़कर जिनमें फीडस्टॉक रसायनों का उत्पादन प्लास्टिक के उत्पादन में पुनः उपयोग हेतु किया जाता है जिस पर पुनर्चक्रण करने, औद्योगिक खाद बनाने के अधीन विचार किया जा सकता है;’ ;

(viii) खंड (थख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(थग) “पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग का अपशिष्ट” से उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता द्वारा, पैकेजिंग का आशयित उपयोग पूर्ण होने के पश्चात् सृजित किया गया प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है और अब इसका उपयोग अपने आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है;’ ;

(ix) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(दक) “पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट” से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण पर अस्वीकार या पृथक किए जाने के रूप में सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग पहुंचने से पूर्व, उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसमें अस्वीकृत, पृथक किए गए उत्पाद सम्मिलित हैं;’ ;

- (x) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
'(धक) "पुनर्चक्रक" वे इकाईयां हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में कार्यरत हैं;'
- (xi) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
(पक) "पुनः उपयोग से किसी सामान की संरचना में परिवर्तन किए बिना समान प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए कोई प्रयोग किया जाने वाला सामान या संसाधन सामग्री अभिप्रेत है;";
- (xii) खंड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
'(बक) "पुनःचक्रित प्लास्टिक का प्रयोग" से, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में वर्जित प्लास्टिक के बजाय प्रयुक्त पुनर्चक्रित प्लास्टिक अभिप्रेत है;';
- (xiii) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
'(ककख) "अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन" से, ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (अर्थात् सीमेंट, इस्पात या कोई अन्य ऐसे उद्योग में) सम्मिलित है;'
3. उक्त नियम के नियम 4 में, -
- (i) उप-नियम (1) में,
- (क) खंड (घ) में, "-के सिवाय मोटाई" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे"
- (ख) उप-नियम (1) में, खंड (ज) में,-
- (क) "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से निर्मित" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) "आईएस 17088:2008" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "आईएस/आईएसओ 17088:2021" शब्द और आंकड़े रखे जाएंगे
- (ग) "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के विक्रेता" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;-
- (ii) उप-नियम (3) में, "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों।" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियम के नियम 9 में, -
- (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्-
- "(1) उत्पादक, आयातक और ब्राण्ड मालिक अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे।"
- (ii) उप नियम (2) में, "एकत्रण की योजना" शब्दों से आरंभ होने वाले और "इसके पश्चात् दो वर्ष-" से अंत होने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) उप-नियम (4) में,- "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों से पूर्व "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।-
- (iv) उप-नियम (5) में,
- (क) "रजिस्ट्रीकरण फॉर्म के बिना" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहा हो" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) "प्रदूषण नियंत्रण समितियों-" शब्दों के पश्चात् "नियम 13 का उप-नियम (2) के अनुसार।" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“10 कंपोस्टेबल और जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- (1) प्लास्टिक सामग्री की अवक्रमणीयता के परिमाण और अपघटन के परिमाण का अवधारण अनुसूची I में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

(2) कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्रियां, आईएस/आईएसओ 17088:2021, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुरूप होंगी।

(3) जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए गए इन मानकों के अनुरूप होगा।

(4) जब तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उप-नियम (3) में निर्दिष्ट मानक अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथाअधिसूचित अनंतिम भारतीय मानक आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप होंगे।

(5) एक अस्थायी उपाय के रूप में, जैव अवक्रमणीय प्लास्टिकों के लिए उन मामलों में, जहां किसी वर्तमान परीक्षण के लिए अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें आईएस 17899 टी:2022 की टी 1 में क्र.सं. (i) या क्र.सं. (ii) या टी 2 की क्र. सं. (i) पर दिए गए जैव-अवक्रमणीय संबंधी आईएस 17899 टी:2022 का पहला घटक सम्मिलित होगा:-

परंतु जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक का उत्पादन या आयात दिनांक 31 मार्च, 2023 के बाद बंद हो जाएगा इस शर्त के साथ अनंतिम प्रमाणपत्र 30 जून, 2023 तक वैध रहेगा।

(6) अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय पेट्रो-रासायनिक अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी या भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता स्कीम, 2020 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला से या प्रयोगशालाओं के परीक्षण एवं अंशांकन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त की जाएगी, और वे यह प्रमाणित करेंगे कि प्लास्टिक का जैव-अवक्रमण आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप है।

6. उक्त नियम के नियम 11 के उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उत्पादक या ब्राण्ड मालिक का नाम, रजिस्ट्रीकरण संख्या और कैरी बैग तथा प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में मोटाई।

परंतु, यह उपबंध लागू नहीं होगा,-

(i) आयातित वस्तुओं के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात्, विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड सामग्री नियम, 2011 के नियम 26 के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए:

(iii) उन मामलों में, जहां इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् “इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों हेतु बीआईएस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन मानक चिन्ह के उपयोग और लेबल लगाने की अपेक्षाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों” में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, इस नियम के अधीन अधिदेशित अपेक्षित सूचना को मुद्रित करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

(ii) खंड (ख) में, ‘1 जनवरी, 2023 से’ “विनिर्माता” शब्द के स्थान पर “उत्पादक या ब्रांड स्वामी” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) आयातित कैरी बैगों या बहु-परतीय पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातकर्ता या उत्पादक या ब्रांड स्वामी, एक मात्र रूप से या उत्पादों सहित खंड (क) और (ख) का पालन करेगा।”

7. उक्त नियम के नियम 12 के उप-नियम (1) में, - “राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” शब्दों से पहले “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्.-

“(1) कोई भी व्यक्ति कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक बैगों या बहुपरतीय पैकेजिंग का तब तक विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने निम्नलिखित से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त न कर लिया हो,-

- (i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे हों; या
- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे हों,”

(ii) उप-नियम (2) में,

(क) “उत्पादक” शब्द के पश्चात्, “,-या आयातकर्ता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “आवेदन करना” शब्दों के पश्चात्, “अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप-नियम (3) में, “प्रपत्र 2 में” शब्दों-, और अंकों के पश्चात्, “अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार” शब्द अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे-;

(iv) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

(v) उप-नियम (7) में, अंत में आने वाले “पंजीकरण निबंधन” शब्दों के पश्चात्, “और पंजीकरण, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बाध्यताओं को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियम के नियम 17 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-:-

“18. पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण - पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण उन व्यक्तियों पर, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं/ रहे हैं, प्रदूषक द्वारा संदाय किए जाने के सिद्धांत के आधार पर उद्धृत किया जाएगा।”

10. उक्त नियम की अनुसूची 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

“अनुसूची-1

[नियम 10 देखें]

(1)	(2)
1	आईएस/आईएसओ 14851:2019 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- किसी बंद रेस्पिरोमीटर में ऑक्सीजन मांग को मापने की पद्धति (प्रथम पुनरीक्षण)
2	आईएस/आईएसओ 14852:1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक वस्तुओं की अंतिम एरोबिक जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति
3	आईएस/आईएसओ 14853:2016 प्लास्टिक- जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- बायोगैस उत्पादन द्वारा मापने की पद्धति (प्रथम संशोधन)
4	आईएस/आईएसओ 14855-1:2012 प्लास्टिक- नियंत्रित कम्पोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति: भाग 1 सामान्य पद्धति (प्रथम संशोधन)
5	आईएस/आईएसओ 14855-2:2018 प्लास्टिक- नियंत्रित कम्पोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति: भाग 2 प्रयोगशाला- पैमाना परीक्षण में विकसित कार्बनडाईऑक्साइड की ग्रेवीमेट्रिक माप (प्रथम संशोधन)
6	आईएस/आईएसओ 15985:2014 प्लास्टिक- उच्च ठोस अवायुजीवी- आत्मसात्करण दशाओं में अंतिम अवायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- निर्मुक्त बायोगैस के विश्लेषण से मापने की पद्धति (प्रथम संशोधन)

7	आईएस/आईएसओ 16929:2019 प्लास्टिक- प्रायोगिक पैमाना परीक्षण में परिभाषित कंपोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन की डिग्री का अवधारण (द्वितीय संशोधन)
8	आईएस/आईएसओ 17556:2019 प्लास्टिक- किसी रेस्पिरोमीटर में ऑक्सीजन की माप या विकसित कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा द्वारा मृदा में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण (द्वितीय संशोधन)
9	आईएस/आईएसओ 20200:2015 प्लास्टिक- प्रयोगशाला पैमाना परीक्षण में अनुकरण की गई कंपोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन की डिग्री का अवधारण (प्रथम संशोधन)''

11. उक्त नियमों के, प्रपत्र 1 में,-

(i) "1. उत्पादक" उपशीर्ष में क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11.	अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य योजना"।
------	-------------------------------------------------------------------------

(ii) 'उपशीर्ष "2 ब्रांड स्वामी" क्रम संख्यांक 9 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"9.	अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य योजना"।
-----	-------------------------------------------------------------------------

(iii) उपशीर्षक "2 ब्रांड स्वामियों" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. आयातकर्ता :

भाग-क		साधारण
1.	नाम, पता और संपर्क करने के लिए नंबर	
2.	नवीकरण के मामले में, पूर्वतर रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
6.(क)	आयातित या आयात किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट की मात्रा	
(ख)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक की मात्रा	
(ग)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए बहु-परतीय पैकेजिंग की मात्रा	

भाग-ख द्रव बहिःस्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित		
7.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
8.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित		
9.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : (क) उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भण्डारण का ढंग  (ग) अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
10.(क)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आयातित (i) प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट और (ii) बहुपरतीय पैकेजिंग की आपूर्ति कराने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	
(ख)	(i) आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए प्रयुक्त मात्रा सहित पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आयातित (i) प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट और (ii) आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए प्रयुक्त मात्रा सहित आयातित बहुपरतीय पैकेजिंग की मात्रा	
11.	अनुसूची-2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य योजना	
नाम और हस्ताक्षर पदनाम		
तारीख : स्थान : ”		

12. उक्त नियम के प्रपत्र 4 में, क्रम संख्या (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(10). अनुसूची-2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रत्येक वर्ष तारीख 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े”

13. उक्त नियम के, प्रपत्र 5 में, तालिका के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित की जाएगी:-

“टिप्पण: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष तारीख 30 अप्रैल तक निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :-

(क) कैरी बैग, पुनर्चक्रित प्लास्टिक बैग, बहुपरतीय पैकेजिंग का विनिर्माता (नियम 13के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

(ख) उत्पादक, आयातकर्ता, ब्रांड का स्वामी (नियम 13 के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

(ग) पुनर्चक्रणकर्ता और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करणकर्ता (नियम 13के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)”

14. उक्त नियम की अनुसूची-2 के पैरा (3) का लोप किया जाएगा।

उक्त नियम की अनुसूची 2 में, उप- पैरा (7.8) के स्थान पर निम्नलिखित का रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(7.8) यदि बाध्य इकाई जैवअवक्रमणीयता प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है, तो नियम 10 के उपबंध लागू होंगे और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. 17/24/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 320(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ), तारीख 27 मार्च, 2018 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ), तारीख 17 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधन और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

**G.S.R. 522(E).**—Whereas the draft rules further to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18<sup>th</sup> January, 2022, *vide* notification number G.S.R. 22 (E) dated the 18<sup>th</sup> January, 2022, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 18<sup>th</sup> January, 2022 ;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-

(i) after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ac) “Biodegradable plastics” means plastics, other than compostable plastics, which undergoes degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, without leaving any micro plastics, or visible, or distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by the Central Pollution Control Board;”;

(ii) in clause (b), after the words “brand labels”, the words “or trademark” shall be inserted;



- (iii) in clause (c), before the words “means bags made” the following words and brackets “(covered under Category II of plastic packaging – Clause (5.1) (II), given in Schedule – II)” shall be inserted.
- (iv) clause (ga), shall be renumbered as “(gb)” thereof and before clause (gb) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(ga) “End of Life disposal” means using plastic waste for generation of energy subject to relevant guidelines in force, which includes co-processing (e.g. in cement, steel or any other such industry) or waste to oil, except in cases where feedstock chemicals are produced for further use in the production of plastic which may then be considered under recycling or for road construction as per Indian Road Congress guidelines etc.’;
- (v) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-
- ‘(k) “Importer” means a person who imports plastic packaging or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;’;
- (vi) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(oa) Plastic Packaging” means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing, and transporting of products in a variety of ways;’ ;
- (vii) after clause (qa), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(qb) “Plastic Waste Processors” means recyclers of plastic waste as well as entities engaged in using plastic waste for energy (waste to energy) including in coprocessing or converting plastic waste to oil (waste to oil) except in cases where feedstock chemicals are produced for further use in the production of plastic which may then be considered under recycling , industrial composting;’;
- (viii) after clause (qb), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(qc) “Post-consumer plastic packaging waste” means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose;’;
- (ix) after Clause (r), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(ra) “Pre-consumer plastic packaging waste” means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product;’;
- (x) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(sa) “Recyclers” are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;’;
- (xi) after clause (u), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(ua) “Reuse” means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object’s structure;’;
- (xii) after clause (w), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(wa) “Use of recycled plastic” means recycled plastic used as raw material, instead of virgin plastic, in the manufacturing process;’;
- (xiii) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(aab) “Waste to Energy” means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement, steel or any other such industry);’.
3. In in rule 4 of the said rules, , -
- (i) in sub-rule (1),
- (a) in clause (d), after the words “thickness except”, the words “ as specified by the Central Government” shall be inserted;

(b) in clause (h),-

(A) after the words “made up of compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted;

(B) for the letters and figures “IS 17088:2008,”, the letters and figures “IS / ISO 17088:2021” shall be substituted;

(C) after the words “seller of compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), after the words “compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted.

4. In rule 9 of the said rules, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The Producers, Importers and Brand Owners shall fulfil Extended Producers Responsibility for Plastic Packaging as per guidelines specified in Schedule -II.”;

(ii) in sub-rule (2), the portion beginning with the words “This plan of collection” and ending with the words “two years thereafter” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (4), before the words “Pollution Control Board”, the words, “Central Pollution Control Board and State” shall be inserted;

(iv) in sub-rule (5), -

(A) after the words “without registration from” the words “Central Pollution Control Board if operating in more than two states or Union territories,” shall be inserted;

(B) after the words “Pollution Control Committees”, the words, brackets and figures “ as per sub-rule (2) of rule 13” shall be inserted.

5. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely.-

“ 10. Protocols for compostable and biodegradable plastic materials.- (1) Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule I.

(2)The compostable plastic materials shall conform to the IS / ISO 17088:2021, as amended from time to time.

(3) The biodegradable plastics shall conform to the standard notified by the Bureau of Indian Standards and certified by the Central Pollution Control Board.

(4) Until a standard referred to in sub-rule (3) is notified by the Bureau of Indian Standards, biodegradable plastics shall conform to tentative Indian Standard IS 17899 T:2022 as notified by the Bureau of Indian Standards.

(5) As a transitory measure, provisional certificate for biodegradable plastics, shall be issued by the Central Pollution Control Board, in cases, where an interim test report is submitted, for an ongoing test, which covers the first component of the IS 17899 T:2022 relating to biodegradability given at Sl. No. (i) or Sl. No. (ii) of Table 1 or Sl. No. (i) of Table 2 of the IS 17899 T:2022:

Provided that the provisional certificate shall be valid till 30<sup>th</sup> June 2023 with the condition that production or import of biodegradable plastics shall cease after the 31<sup>st</sup> day of March, 2023.

(6) The interim test report shall be obtained from the Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology or a laboratory recognised under the Laboratory Recognition Scheme, 2020, of the Bureau of Indian Standards or laboratories accredited for this purpose by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and they shall certify the bio-degradation of plastic is in line with IS 17899 T:2022.

6. In sub-rule (1) of rule 11 of the said rules,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) name, registration number of the producer or brand owner and thickness in case of carry bag and plastic packaging :

Provided that this provision shall not be applicable,-

(i) for plastic packaging used for imported goods:

(ii) for cases falling under rule 26 of the Legal Metrology Packaged Commodities Rules, 2011, after the approval of the Central Pollution Control Board:

(iii) for cases where it is technically not feasible to print the requisite information mandated under this Rule, as per specifications given in the “Guidelines for use of Standard Mark and labelling requirements under BIS Compulsory Registration Scheme for Electronic and IT Products” after the approval of the Central Pollution Control Board .”;

(ii) in clause (b), “with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2023” for the word “manufacturer”, the words “producer or brand owner” shall be substituted.

(iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) the importer or producer or brand owner of imported carry bags or multi-layered packaging or plastic packaging, alone or along with the products shall adhere to clause (a) and (b).”

7. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (1), before the words, “State Pollution Control Board” the words, “Central Pollution Control Board or” shall be inserted.

8. In rule 13 of the said rules, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained registration from,-

(i) the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territory, if operating in one or two states or Union territories; or

(ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union territories.”;

(ii) in sub-rule (2),-

(A) after the word “producer”, the words “or importer” shall be inserted;

(B) after the words “make an application” , the words and figures “as per the guidelines specified in Schedule -II,” shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), after the words “in Form II”, the words and figures “as per the guidelines specified in Schedule –II” shall be inserted.

(iv) Sub-rule (6) shall be omitted;

(v) in sub-rule (7), after the words “terms of registration” occurring at the end, the words and figures “and the registration shall be subject to fulfilment of obligations in accordance with the guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging specified in Schedule -II.” shall be inserted.

9. After rule 17 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“18. Imposition of Environmental Compensation.- The Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, on persons who are not complying with the provisions of these rules, as per guidelines notified by the Central Pollution Control Board.”.

10. For Schedule I of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

**“SCHEDULE-I**

**[See rule 10]**

(1)	(2)
1	IS / ISO 14851: 2019 Determination of the Ultimate Aerobic Biodegradability of Plastic Materials in an Aqueous Medium — method by measuring the Oxygen demand in a closed respirometer (First Revision)
2	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium—method by analysis of evolved Carbon dioxide
3	IS / ISO 14853: 2016 Plastics — Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system —method by measurement of biogas production (First Revision)
4	IS /ISO 14855-1: 2012 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — method by analysis of evolved Carbon dioxide: Part 1 General method (First Revision)
5	IS / ISO 14855-2: 2018 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — method by analysis of evolved carbon dioxide: Part 2 Gravimetric measurement of Carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test (First Revision)
6	IS / ISO 15985: 2014 Plastics — Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions — methods by analysis of released biogas (First Revision)
7	IS /ISO 16929: 2019 Plastics — Determination of the Degree of Disintegration of Plastic Materials under Defined Composting Conditions in a Pilot-Scale Test (Second Revision)
8	IS / ISO 17556: 2019 Plastics — Determination of the Ultimate Aerobic Biodegradability of plastic materials in soil by measuring the Oxygen demand in a Respirometer or the amount of Carbon Dioxide Evolved (Second Revision)
9	IS / ISO 20200 : 2015 Plastics — Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - Scale test (First Revision)”

11. In the said rules, in Form I,-

(i) in the sub-heading “I.Producers”, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“ 11.	Action plan in line with the guidelines specified in Schedule -II”.	
-------	---------------------------------------------------------------------	--

(ii) in sub-heading “II Brand Owners”, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9.	Action plan in line with the guidelines specified in Schedule -II”.	
-----	---------------------------------------------------------------------	--

(iii) after sub-heading “II. Brand Owners” and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" III- Importers

<b>PART – A</b>		
<b>GENERAL</b>		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
6 (a)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging of imported or to be imported products	
(b)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging for further supply or self-use	
(c)	Quantity of multilayered packaging for further supply or self-use	
<b>PART – B</b>		
<b>PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS</b>		
7.	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
8.	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
<b>PART – C</b>		
<b>PERTAINING TO WASTE</b>		
9.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
10. (a)	Attach or provide list of person supplying imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging	
(b)	Quantity of imported (i) plastic sheet or like used for packaging along with the quantity used for further supply or self use, (ii) multilayered packaging along with the quantity used for further supply or self use	
11.	Action Plan in line with Guidelines specified in Schedule - II	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :".		

12. In Form IV of the said rules, after serial number (9) and the entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

“(10). Data to be provided as per guidelines specified in Schedule -II by 30th April of every year to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee”

13. In Form VI of the said rules, after the table, the following note shall be inserted:-

“Note: The following informations shall be provided to the Central Pollution Control Board by 30<sup>th</sup> April of every year, namely:-(a) Manufacturer of carry bag, recycled plastic bag, multilayered packaging (Registered under clause (i) of sub-rule (1) of rule 13;

(b) Producer, Importer, Brand Owner (Registered under clause (i) of sub-rule (2) of rule 13;(c)Recycler and plastic waste processor (Registered under clause (i) of sub-rule (3) of rule 13”.

14. Paragraph 3 of Schedule – II of the said rules shall be omitted. 15. In Schedule II of the said rules, for sub-- paragraph (7.8), the following shall be substituted, namely:-

“(7.8) In case, the obligated entity utilizes plastic packaging made from biodegradable plastics, the provisions of rule 10 shall be applicable and the Extended Producer Responsibility target shall not be applicable.”

[F. No. 17/24/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27<sup>th</sup> March, 2018, vide notification number G.S.R. 571(E), dated the 12<sup>th</sup> August, 2021, vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17<sup>th</sup> August, 2021 and last amended vide notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16<sup>th</sup> February 2022.